



पेयजल संरक्षण : चिंता का प्रमुख विषय

जितेन्द्र कुमार

एम. एस. सी जियोग्राफी बीएड, नेट (जी आर एफ), सेट

सार— पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 70 प्रतिशत भाग पर जल है किंतु इसमें पीने योग्य मीठा जल केवल 3 प्रतिशत है, शेष भाग खारा जल है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं। सामान्यतः मीठे जल का 68 प्रतिशत बर्फीली चोटी एवं ग्लेशियरों के रूप में 30 प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में, 1 प्रतिशत नदियों में, 1 प्रतिशत वनस्पति एवं

ISSN 2454-308X



वाष्प के रूप में निहित है। इस प्रकार सम्पूर्ण परिदृश्य में सापेक्षिक रूप में मीठे जल के प्राकृतिक जल स्रोतों की गंभीर कमी के बावजूद आर्थिक विकास, बढ़ता औद्योगीकरण और जसंख्या विस्फोट से जल प्रदूषण तथा बढ़ती जल की मांग एवं खपत ने जलचक्र को बिगाड़ दिया है। जिसके कारण आज विश्व के कई भागों में पेयजल की कमी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जल जो की मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। उसकी इस प्रकार से कमी मानव जीवन के लिए खतरे का सूचक है। जल की कमी मानव के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्राणी जगत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। इस समस्या को नज़रअंदाज किए बिना तत्काल इसके समाधान की आवश्यकता है। अन्यथा निकट भविष्य में इसके अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कुंजी शब्द

जल संरक्षण, जल चक्र वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन प्रबंधन।

भूमिका

ऐसे तो प्राकृतिक रूप से जल का वितरण असमान है किंतु आज वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने जल स्रोतों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग में हुई वृद्धि के कारण पेय जल के प्रमुख स्रोत ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके साथ ही वर्षा की कमी एवं अनिश्चितता तथा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि जलस्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। क्योंकि समय पर वर्षा नहीं होने से भूमिगत जल संतुलन कायम नहीं हो पाता। पृथ्वी के कई भू-भाग आज पेयजल के संकट से गुजर रहे हैं।



बढ़ता वैश्विक तापन और जलवायु बदलाव जो संकेत दे रहे हैं उसमें जल की उपलब्धता में और भी कमी आने की संभावना के अलावा जलचक्र के भी परिवर्तन होने की आशंका है।

हाल ही में द0 अफ्रीका के केपटाउन शहर जल संकट की गंभीर समस्या के कारण प्रकाश में आया। केपटाउन में पिछले 3 साल से सूखा चला आ रहा है, जिसके कारण वहाँ पानी की भारी किल्लत है। कुछ समय पहले केपटाउन में हुए क्रिकेट टैस्ट मैच के दौरान यह समस्या विश्व के समक्ष उजागर हुई। केपटाउन में उत्पन्न हुई पानी की कमी की ऐसी गंभीर समस्या विश्व के अन्य सभी देशों के लिए एक वेक-अप कॉल (Wake up call) है।

भारत के संदर्भ में

भारत में विश्व की 18 प्रतिशत आबादी है, परन्तु जल की उपलब्धता 4 केवल प्रतिशत है। भारत की पेयजल आवश्यकता का मुख्य स्रोत नदियाँ एवं भूमिगत जल है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1100 बी सी एम क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता है। जिसके 2050 तक 1447 बी सी एम होने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक (ए. डी. बी) के अनुसार, भारत में 2030 तक जल की 50 प्रतिशत तक की कमी होने के अनुमान हैं। भारत में 2050 तक जल संकट के कारण जी डी पी में 6 प्रतिशत तक की हानि हो सकती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट “ High and dry : climate change, water and the Economy ” के अनुसार बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आय और शहरों के विस्तार से पानी की मांग में भारी बढ़ोतरी होगी जबकि आपूर्ति अनियमित और अनिश्चित होगी। क्योंकि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण ने जल की आपूर्ति और मांग की खाई को और भी चौड़ा बना दिया है।

तिब्बत के पठार में मौजूद हिमालयी ग्लेशियर भारत सहित समूचे एशिया में 1.5 अरब से अधिक लोगों को पेयजल प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते “ब्लैक कार्बन” जैसे प्रदूषित तत्व ने उत्सर्जित हो कर हिमालय के ग्लेशियरों में जमी बर्फ की मात्रा को घटा दिया है। तिब्बत के इन ग्लेशियरों से भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र को जल की आपूर्ति होती है। जो भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या की पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं इस प्रकार से हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना भविष्य में भारत सहित समूचे एशिया के समक्ष पेय जल संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चों पानी की कमी से उत्पन्न होने वाले वाली बीमारियों से मर जाते हैं। लगभग 23 करोड़ लोगों को जल प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है वर्ष 2008 के बाद से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि प्रत्येक वर्ष देश में एक हजार से भी अधिक पानी



से जुड़ी हिसंक घटनाएं भी सामने आने लगी है। सार्वजनिक नालों पर महिलाओं को घण्टों पानी के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है।

भारत में बढ़ती जनसंख्या, पर्याप्त आयोजन की कमी, अविवेकपूर्ण ढंग से कुओं की खुदाई, बड़े पैमाने पर जल का उपयोग तथा बेहतर ढंग से जल का उपयोग आदि जल की कमी के प्रमुख कारण हैं इन सबके अलावा जल संरक्षण की कोई सुदृढ़ नीति नहीं होने के कारण भी पेयजल की समस्या साल दर साल गंभीर होती जा रही है।

भारत में जल उपयोग के संदर्भ में विश्व बैंक के अनुसार भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है जो वैश्विक स्तर की तुलना में कमी अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन व्यक्तिगत उपयोग के लिए 50 लीटर तथा घरेलू उपयोग के लिए 100 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। भारत में स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के अनुसार 77 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्रतिदिन 40 लीटर पानी उपलब्ध होता है। जबकि एक सर्वेक्षण में भारत में प्रति व्यक्ति घरेलू जल खपत लगभग 20–30 लीटर प्रतिदिन पाई गई है जो सापेक्षिक रूप से बहुत कम है।

जल संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम

1. **राष्ट्रीय जल मिशन** – इसका प्रमुख उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण, न्यूनतम बर्बादी तथा राज्य के अन्दर एवं बाहर दोनों जगह इसका समान विवरण सुनिश्चित करना है।

2. **राष्ट्रीय जल नीति 2012** – देश में जल संसाधनों के संरक्षण विकास और बेहतर प्रबंधन के लिए कई सिफारिशों की गई हैं जैसे जल संसाधन की योजना एवं प्रबंधन, जल के उपयोग हेतु मानदण्ड विकसित करने, जल संसाधन प्रबंधन में जलसहभागिता सुनिश्चित करने तथा जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना इत्यादि।

आवश्यक सुझाव –

1. पेयजल संरक्षण के संबंध में लोगों के बीच अधिकाधिक जागरूकता फैलायी जाए तथा लोगों को इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से अवगत कराया जाना चाहिए।

2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में लगभग आधे से अधिक अंतर्राज्यीय नदियां प्रदूषित हैं। नदियों के जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाला अवशिष्ट है जिसका नदियों में विसर्जन के पूर्व उपचार किया जाना चाहिए तथा अधिक मात्रा में अवशिष्ट प्रवाहित करने वाले उद्योगों एवं कारखानों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।



3. जल संसाधनों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए प्रकृति आधारित समाधान अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकाधिक हरित आवरण को बढ़ाया जाए।
4. जल को केन्द्र की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
5. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 1 टन मल के लिए 2000 टल शुद्ध जल बर्बाद होता है। इस समस्या के समाधान के रूप में जैविक टॉयलेट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
6. भारत में यद्यपि औसत वार्षिक वर्षा 1170 एमएम होती है जिसके केवल 6 प्रतिशत भाग का ही भण्डारण किया जाता है।

अगले 5 वर्षों में वर्षा जल भण्डारण संबंधी मूलभूत संरचनाओं को दुगुना करने की नीति अपनाई जानी चाहिए तथा वर्षा जल का अधिकांश भाग संगृहित किया जाना चाहिए। जिससे जल जरूरतों की पूर्ति के लिए भू-जल पर लोगों की निर्भरता कम होगी तथा भूजल का स्तरीय संतुलन कायम हो सकेगा। इसके अलावा गंदे पानी को दोबारा प्रयोग में लाने योग्य बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है।

6. कृषि के क्षेत्र में प्रयोग हो रहे जल के उपयोग को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए फसल चयन में बदलाव के साथ ही सिंचाई की आधुनिक तकनीकों जैसे स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा समुन्द्र के जल को सिंचाई के लिए प्रयोग करने की विधि का विकास किया जाना चाहिए।

8. भू-जल संसाधन के प्रयोग के लिए अब तक कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। जिसे तत्काल बनाने की जरूरत है।

9. अपने दैनिक कार्यों में सजगता और समझादारी से पानी का उपयोग करके भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन काफी बड़े सामाधान में परिवर्तित हो सकते हैं।

निष्कर्ष – जल के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण की दिशा में तत्काल एक स्पष्ट एवं सुदृढ़ कार्या योजना के सथ एकजुट होकर योगदान किया जाए। इसके संरक्षण की न केवल भारत में जरूरत है बल्कि वैश्विक स्तर पर जल की कमी देखा जा रही है। अतः वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों को एक मंच पर एकत्रित होकर एक सफल नेतृत्व एवं सुदृढ़ कार्य योजना के तहत कार्य करने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. द हिन्दू न्यूज पेपर, 21.3.2018 (पृष्ठा संख्या.08) तथा 22.03.2018 (पृ संख्या 09) "Conserve every drop"



2. दैनिक जागरण, न्यूज पेपर, 28.05.2018 (पृष्ठ संख्या 09) "जल: है अर्थव्यवस्था का संकट"
3. विश्व बैंक रिपोर्ट, **High & Dry: Climate change, Water and Economy**
4. स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय (इंडिया वाटर पोर्टल)